

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1605 / एफ-1-09 / 31 / एस-2 / 2021,
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- कबीरधाम जिले के विकासखंड-सहसपुर-लोहारा की करनाला बैराज मुख्य नहर का रिमाडलिंग एवं करनाला तक नहर विस्तारीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।


संदर्भ :- 1. प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-1075/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2020/11929,
दिनांक 31.12.2020.
2. मुख्य अभियंता का पत्र क्रमांक-147/डी-2/मगोक/2020/1318, रायपुर
दिनांक 10.02.2021.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा कबीरधाम जिले के विकासखंड-सहसपुर-लोहारा की करनाला बैराज मुख्य नहर का रिमाडलिंग एवं करनाला तक नहर विस्तारीकरण कार्य हेतु लागत राशि रु. 195.32 लाख (रुपये एक करोड़ पंचानवे लाख बत्तीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना से 200 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23 जल संसाधन विभाग, 4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [38]- करनाला {800}-अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (2898) बांध तथा संलग्न कार्य #26-वृहद् निर्माण कार्य-005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 10.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


25/03/2021
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
 14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कर्वधा, जिला-कबीरधाम।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


25/03/2021
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
